न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.
	14 12/16 प्रा. पेश हुआ। पूर्व में न्यायहित में अन्तिम अवसर तलबाने पेश करने हेतु दिया गया था। जिसकी पालना वादी प्रार्थी द्वारा नहीं की गयी। प्रार्थी की नोन-प्रासीक्यूशन में वादी का वाद खारिज किया जाता है। प्रा. नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर किया जावे। [signature]

यालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.
16/9/16 वादी प्रार्थना पेश नहीं। [illegible] वास्ते बहस पत्रा. दिनांक 20-9-16 को पेश हो। [initials]
20/9/16 वादी वकील उप.। बहस सुनी गयी वास्ते आदेश पत्रा. दिनांक 3-10-16 को पेश हो। [initials]
3/10/16 वादी वकील हाजिर। वादी का वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर [illegible] पत्रा. [illegible] से [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। [initials]

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व वादपत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
187 / 2016	05.07.216	03/10/16

अनुवान

1. नरपाल पुत्र श्री जगदीश उम्र करीब 40 साल जाति अहीर निवासी खानपुर अहीर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:– वादी

बनाम

1. बोदन पुत्र सुल्तान
2. होशियार पत्र्त्र सुल्तान
3. बिमला पत्नी चन्द्रभान
4. राजेश पुत्र चन्द्रभान
5. अनिल पुत्र चन्द्रभान
6. अमरा पुत्र मुरला जाति अहीर निवासी जहांपुरी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
7. बडोदा राज0 क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा बीबीरानी जरिये शाखा प्रबन्धक बीबीरानी तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0।
8. उप पंजियक कोटकासिम जिला अलवर राज0।
9. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लेण्ड होल्डर कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:– असल प्रतिवादीगण

10. विजय पुत्र जगदीश
11. सत्यपाल पुत्र रतन
12. ईश्वर पुत्र रतन
13. विक्रम पुत्र रतन जाति अहीरान निवासी खानपुर अहीर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:– तर0 प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
वो हुक्मईम्तनाईदवामी अंतर्गत धारा
88, 89, 188 राज0 टी0 ऐ0 1955

उपस्थितः

1. श्री कृष्णकुमारयादव अधिवक्ता, वादी

निर्णय

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

वादी द्वारा एक वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्मइम्तनाई दवामी अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस न्यायालय में पेश किया। वाद में वादी की ओर से तथ्य इस प्रकार वर्णन किये कि विवादित आराजी हाल आराजी ख. सं0 56 रकबा 0.09 बि0 वाके मोजा जहांपुरी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 उपरोक्त विवादित आराजी को जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 4.5.1982 को हम वादी व तर0 प्रति0 के पिताओ द्वारा समस्त प्रतिफल राशि अदा कर बाजाप्ता बाकब्जा खरीद किया था। वक्त खरीद से ही हम शान्ति पूर्वक विवादित आराजी पर काबिज व दखिल चले आ रहे है मौके पर हमारा ही कब्जा काश्त है। बयनामा दिनांक 4.5.1982 के आधार पर मिन वादी व तर. प्रति. के पिता श्री जगदीश, रतन पुत्रान पीलवान जाति अहीर निवासी जहांपुरी हाल खानपुरअहीर तहसील कोटकासिम के पक्ष में इन्तकाल सं. 50 दरज वो स्वीकार हो गया। राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से उक्त इन्तकाल सं. 50 का अंकन चोसाला जमाबंदी में नही किया गया । जिस कारण विक्रेता सुलतान व अमरा के रह गया तथा उक्त विक्रेता सुलतान की मृत्यू के बाद उनके वारिसान असल प्रति0 1 लगायत 5 के नाम आज दिन तक लगातार चला आ रहा है कि जो अंकन खिलाफ मोका एंव खिलाफ रिकोर्ड है जो काबिले दुरूस्ती है। मिन वादी व तर0 प्रति0 को माह जून 2016 में उक्त आराजी पर किसान क्रेडिट कार्ड हेतु नकल जमाबंदी की आवश्यकता पडी। जिस पर पटवारी हल्का ने असल प्रतिवादीगण के नाम का अमल होना बताया। जिस पर मिन वादी व तर0 प्रति0 ने उक्त गलत अकन को हजफ करा कर अपने नाम का अमल राजस्व रिकोर्ड में कराने हेतु कई मर्तबा असल प्रति0 से कहा। जो पहले तो टाल बाल करते रहे । लेकिन अब दिनांक 1.7.2016 को असल प्रति0 ने सक्षम न्यायालय से दुरूस्ती कराने हेतु कहा मिन वादी व तर0 प्रति0 के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है। अतः अपने अधिकारों की रक्षार्थ राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में जो असल प्रति0 1 लगायत 6 के नाम का गलत अंकन हो रहा है को कलमजन करा कर बाद दुरूस्ती अपने नाम का अंकन कराने के अधिकारी है। अतः दावा इश्तकरार हक मय दुरूस्ती करना लाजिम आया। हाल जमाबंदी राजस्व रिकोर्ड में असल प्रति0 1 लगायात 6 के नाम का गलत तौर पर अंकन चला आ रहा हैं जिसको दुरुस्त करा कर हमारे नाम का अंकन कराने से दिनांक 2.7.2016 को साफतोर पर इन्कार कर दिया है। यदि उक्त गलत अंकन के आधार पर असल प्रति0 ने आराजी का बेचान कर दिया या कब्जा काश्त वादी व त0 प्रति0 में मजाहमत मदाखलत पैदा की तो मिन वादी व तर0 प्रति0 के अधिकारो पर कुठाराघात होगा बेजा मुकदमा बाजी में पडना पड जावेगा। सुविधा का सन्तुलन वो नापूर्तिनिय क्षति बहक वादी व तर0 प्रति0 है। इसलिये अपने अधिकारों की रक्षार्थ वादी व तर0 प्रति0 असल प्रति0 को पाबन्द करने का अधिकारी है। अतः दावा

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

हुक्मईम्तनाई दवामी करना लाजिम आया। आराजी विवादित बैंक में रहन होने के कारण असल प्रति0 7 को पक्षकार बनाया गया है। दिनांक 2.7.2016 को असल प्रति0 1 लगायत 6 ने राजस्व रिकोर्ड में हमारे नाम का अंकन को बाद दुरूस्ती दर्ज कराने हेतु इन्कार कर दिया है कि जो तारीख दावा हेतु बिनाए दावी वो बिनाए मुखासमत पैदा होकर दावा हाजा मामुलन अन्दर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना है कि वाद कः– डिक्री इज्राय इश्तकरार हक मये दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादी व तर0 प्रति0 विरूद्व असल प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 इस कदर पारित की जावे कि हाल आराजी ख. सं. 56 रकबा 0.09 बिस्वा ग्राम जहांपुरी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 का वादी व तर0 प्रति0 को खातेदार काश्तकार घोषित करार दिया जावे तथा हाल जमाबंदीयत में जो असल प्रति0 के नाम का अमल हो रहा हैं को कलमजन किया जाकर बाद दुरूस्ती इन्द्राज हम वादी व त0 प्रति0 के नाम का अमल दरामद ताहाल जमाबंदीयात में किया जावे। खः– डिक्री हुक्मईम्तनाई दवामी बहक वादी व तर0 प्रति0 विरूद्व असल प्रति0 1 लगायत 6 इस कदर पारित की जावे कि हाल आराजी ख. सं. 56 रकबा 0.09 बि0 ग्राम जहांपुरी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 के कब्जा काश्त उपयोग आराजी वादी व तर0 प्रति0 में असल प्रति0 दमजाहमत मदाखलत पेदा ना करें, आराजी जोतने फसल बोने काटने समेटने में रूकावट बाधा पेदा ना करे राजस्व रिकोर्ड एंव मौका की यथावत स्थिति कायम रखे। गः– हर्जा–खर्चा मुकदमा एंव अन्य दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत बहक वादी व तर0 प्रति0 सादिर फरमाई जावे। दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस सुनवाई का अवसर दिया गया।

प्रतिवादीगण 1 से 6 बाद तामील उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एकतर्फा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जिसमें राज्य हित नहीं होना अंकित किया।

वादी द्वारा दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2071, नकल नामान्तरकरण सं0 50 ग्राम जहांपुरी, दस्तावेज बयनामा दिनांक 16.09.1982 पेश किये गये।

वादी के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में विवादित

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

आराजी पर से असल प्रतिवादी 1 से 6 के नाम को हजफ कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में पेश किये गये रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड बयनामा से दिनांक 16.09.1982 को मृतक सुल्तान व अमरा पुत्र मुरला जाति यादव निवासी जहांपुरी से खरीद किया जाना साबित है। सुल्तान के फौत हो जाने से विवादित आराजी प्रतिवादी 1 से 6 के नाम दर्ज हो गई जबकि मृतक सुल्तान व अमरा द्वारा पूर्व में बेचान विवादित आराजी बहक वादी व तरतीबी प्रतिवादी के पिता को किया जा चुका है। जो इन्द्राज गलत दर्ज हो रहा है। प्रतिवादी 1 से 6 का नाम कलमजन किया जाकर वादी तरतीबी प्रतिवादी 10 से 13 के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत है। विवादित आराजी बैंक के रहन है जो प्रतिवादीगण 1 से 6 द्वारा वादी के हकूकों को कानून प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करने के लिये रहन रखी जाना प्रतीत है। बैंक की ऋण राशि का वसूल होना आवश्यक है। जिससे बैक को नुकसान नही हो। बैंक ऋण चुकाने का दायित्व प्रतिवादीगण 1 से 6 का है।

आदेश

वादी का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 56 रकबा 0–09 बिस्वा वाके ग्राम जहांपुरी तहसील कोटकासिम जिला अलवर पर से प्रतिवादी 1. बोदन पुत्र सुल्तान, 2. होशियार पत्र्त्र सुल्तान, 3. बिमला पत्नी चन्द्रभान, 4. राजेश पुत्र चन्द्रभान, 5. अनिल पुत्र चन्द्रभान, 6. अमरा पुत्र मुरला जाति अहीर निवासी जहांपुरी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा वादी 1. नरपाल पुत्र श्री जगदीश उम्र करीब 40 साल व तरतीबी प्रतिवादीगण 10. विजय पुत्र जगदीश, 11. सत्यपाल पुत्र रतन, 12. ईश्वर पुत्र रतन, 13. विक्रम पुत्र रतन जाति अहीरान निवासी खानपुर अहीर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 को उक्त आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बैंक रहन मुक्त होने पर आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी व तरतीबी प्रतिवादी के नाम अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 03-10-2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner